राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)(मोबा)नियम/डीएलबी/2015/4801-4985 जयपुर,दिनांक : 11/3/15

मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों एवं नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों/नगर विकास न्यासों एवं विकास प्राधिकरणों को बार-बार दिये गये निर्देशों के बावजूद ऑप्टिक फाइबर केबल डालने एवं ग्राउण्ड बेस मास्ट (GBM), ग्राउण्ड बेस टॉवर (GBT) या रूफ टॉप टॉवर (RTT) लगाने हेतु अनुमति देने हेतु अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः विलम्ब को समाप्त करने के लिये निम्न निर्देश दिये जाते हैं कि :-

"मोबाइल टॉवर सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा मोबाइल टॉवर उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप संबंधित नगरीय निकायो को आवेदन प्रस्तुत किये जायेगें। संबंधित नगरीय निकाय द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद प्रकरण की जांच कर 15 दिवस में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत करेगें तथा प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से मुख्य नगर पालिक अधिकारी/लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी 30 दिवस की अवधि में आवेदन पत्र का निस्तारण करेगें। निर्धारित 45 दिवस की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण/NOC जारी नहीं होने की दशा में "Deemed NOC" मानकर नगरीय निकाय को देय राशि स्वप्रेरणा से जमा कराने के बाद सेवा प्रदाता कार्य करने हेतु स्वतंत्र होगा।" प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें निर्धारित अवधि में निस्तारण न किये जाने के कारण "Deemed NOC" मानी जायेगी, संबंधित अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्होने समय से निस्तारण क्यों व किन परिस्थितियों में नहीं किया है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के प्रभावी होने की दिनांक को निकायों में लम्बित आवेदन भी इस प्रावधान के अध्याधीन रहेंगे तथा "Deemed NOC" के आधार पर सेवा प्रदाता विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर सकेगा।

(डॉ0 मनजीत सिंह) 11/3/15
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(मोबा)नियम/डीएलबी/2015/4986-5013 दिनांक : 11/3/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0जयपुर
2. समस्त विकास प्राधिकरण/समस्त नगर सुधार न्यास, राजस्थान
3. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान
4. सुरक्षित पत्रावली।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव